M.A.C.T. No. 118/2022

Witness No. ----**01**---- for **आवेदक साक्ष्य** Deposition taken on **12/12/2023** .... day of .. **मंगलवार**. witness's apparent age ...**25**... States on affirmation....**शपथपूर्वक**.. my Name is .**पेमीन ढीमर** Son of/ Wife of .....**श्री हरिशचंद्र ढीमर** Occupation **गृहणी** Address **कुरूद, थाना कुरूद, जिला–धमतरी छ.ग.**

....

–: मुख्य परीक्षण द्वारा श्री बी0के0जैन वास्ते आवेदिकागण :–

01– आवेदक क्र० 02 एवं 03 क्रमशः मेरे पुत्र एवं पुत्री है तथा आवेदक क्र० 04 मेरी सास है। मेरे ससूर की मृत्यू हो चुकी है। हरिशचंद्र मेरे पति थे ।

02– घटना दिनांक 04–06–2022 को मेरा पति अपने मोटरसायकल क्र० सी०जी० 07 एल०ए० 6911 के अंवरी से छोडकर वापस कुरूद आ रहा था जब वह ग्राम कोडेबोड फेडरेशन के पास पहुचा था जो रायपुर धमतरी मार्ग है उसी समय पीछे से कार क्र० सी०जी० 04 1200 के चालक द्वारा रायपुर तरफ से आकर मेरे पति के दुपहिया वाहन को पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । घटना कार चालक के द्वारा कार को लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के कारण हुई है। घटना लगभग शाम 07–7.30 बजे की है।

03– घटना की सूचना पुलिस तथा अन्य लोगो के माध्यम से पता चला तब हम लोग कुरूद हास्पीटल अपने पति को देखने गये थे वहां पर मैने देखा तब मेरे पति के सिर, छाती, हाथ पैर मे गंभीर चोट लगकर खून बह रहा था फिर वहां के डॉक्टरो ने उसे बठेना अस्पताल धमतरी रिफर कर दिया

जहां उपचार के दौरा घटना दिनांक को मेरे पति की मृत्यू हो गयी।

04– उसके बाद पुलिस वाले आये लिखा पढी किये उसके बाद मेरे पति का शास० अस्पताल धमतरी मे पी० एम० हुआ ततपश्चात मेरे पति के शव को पुलिस वालो के द्वारा दिया गया तब हम लोग सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम क्रियाकर्म एवं मृत्यूभोज आदि किये। हम लोग पांचनहावन का कार्यक्रम करने के पश्चात मेरे को एक्सीडेंट करने वाले वाहन का पता करने के लिये पुलिस चौकी बिरेझर गये थे तब हमे ज्ञात हुआ कि पुलिस वाले तथा घटना दिनांक को दो लडके मेरे पति को एक्सीडेंट करने वाले गाडी का नंबर बताकर गये थे। गाडी का नंबर सी०जी० 04 1200 है तब पुलिस वालो को हमने कहा कि रिपोर्ट लिखो तब पुलिस वाले बोले कि जिला अस्पताल से पी०एम० रिपोर्ट आयेगा उसके पश्चात हम लोग आप लोगो का बयान लेकर रिपोर्ट लिखेगें। घटना दिनांक के पश्चात रिपोर्ट लिखाने के लिये हम लोग 10–12 बार बिरेझर चौकी गये थे। पी०एम० रिपोर्ट आने के पश्चात बाद मे पुलिस वाले लिखा पढी किये थे।

05– मेरा पति मेरे से लगभग साल दो साल बडा था। घटना के पूर्व मेरा पति राजमिस्त्री एवं टाईल्स लगाने का काम करता था। मेरा पति प्रतिदिन 600 रूपये आय प्राप्त करता था उक्त आय से हमारा भरण पोषण होता था।

06– मैने अपने दावा के समर्थन में आवेदक क्र० 01 के विरूद्ध प्रस्तुत दां०प्रकरण क्र० 1116/2022 शासन विरूद्ध कामदेव चक्रधारी से संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपिया प्रस्तुत की हुॅ जिसमें अंतिम प्रतिवेदन प्र०पी० 01 प्रथम सूचना पत्र प्र०पी० 02, जप्ती पत्रक प्र०पी० 03 , गिरफतारी पत्रक प्र०पी० 04, सुपुर्दगी आदेश प्र०पी० 05, अंतिम शव परीक्षण एवं प्रतिवेदन प्र०पी० 06, विश्वकर्मा बाबा राजमिस्त्री मजदूर कल्याण समिति कुरूद पंजीयन क्र० 27633 के द्वारा जारी मेरे पति का परिचय पत्र प्र०पी० 07 है।

प्रकरण मे प्रस्तुत छायाप्रति प्र०पी० 07 सी है। छ०ग० भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल श्रम विभाग रायपुर द्वारा जारी मेरे पति हितगाही परिचय पत्र प्र०पी० 08 है तथा छायाप्रति प्र०पी० 08 सी० है। मृतक एवं आवेदकगणो का आधार कार्ड क्रमशः प्र०पी० 09, 10, 11, 12, है। छायाप्रति पूर्व से प्रस्तुत प्र०पी० 09 से प्र०पी० 12 सी है। मुझे दावा मे उल्लेखित राशि अनावेदकगणो से दिलायी जावे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस0के0रंगारी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क. 03</u>

07– यह कहना सही है कि घटना होते हुये मै नही देखी हुॅ। मुझे घटना की जानकारी जब मै कुरूद मे थी तब 7.30 बजे जानकारी मिली। दुर्घटना के समय मेरे पति मोटरसायकल में थे एवं स्वंय चला रहे थे। उक्त मोटरसायकल मेरे पति के नाम पर है। यह कहना सही है कि मैने दावा प्रकरण में मोटरसायकल के कागजात पेश नही की हुॅ। स्वतः कही कि थाने में पेश की हुॅ।

08– यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मेरे पति हेलमेट नही पहने थे। यह कहना सही है कि घटना के समय मै उप० नही थी इस कारण मै नही बता सकती कि दिनांक 04–06–2022 को हुये दुर्घटना जिसमे मेरे पति की मृत्यू हुई है वह किसकी गलती से घटित हुई है। स्वतः कही कि घटनास्थल पर उप० लोगो ने मुझे बताया था कि कार वाले की गलती से दुर्घटना हुई है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना दिनांक को मेरे पति अपने मोटरसायकल को काफी तेजी व लापरवाहीपूर्वक चला रहे थे जिसके कारण वह सडक मे गिर गया जिससे उसकी मृत्यू हुई है।

09– यह कहना गलत है कि मेरे पति को आयी चोटे कार वाले के द्वारा ठोकर मारने के कारण नही हुई है। यह कहना गलत है कि मेरे पति स्वयं मोटरसायकल से फिसलकर गिर गये थे जिसके कारण उसकी मृत्यू हुई है। यह कहना सही है कि दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी बिरेझर में

दिनांक 03–09–2022 को लिखी गयी है। स्वतः कही कि दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यू होने एवं अंतिम क्रियाकर्म के पश्चात हम लोग रिपोर्ट लिखाने गये थे किन्तु पुलिस वालो के द्वारा मेरे पति के शव परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद आने के लिये बोला गया उसके बाद रिपोर्ट लिखेगें कहा गया।

10– यह कहना सही है कि मैने अपने के आय एवं दुर्घटना के पूर्व किसके किसके यहां कार्य किये थे उसका कोई भी कागजात मैने प्रकरण मे प्रस्तुत नही किया है। यह कहना सही है कि मैने विश्वकर्मा राज मिस्त्री मजदूर कल्याण समिति कुरूद के पहचान पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुं। यह कहना सही है कि मैने अपने पति को प्रतिदिन कितनी आय प्राप्त करते थे समिति के द्वारा आय संबंधी कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नही की हुं।

11– यह कहना गलत है कि मैने अपने पति के राजमिस्त्री का कार्य करने के बाबत दस्तावेज प्रस्तुत की हुं, किन्तु मेरे पति राजमिस्त्री का कार्य नही करते थे। यह कहना गलत है कि मै ज्यादा क्षतिपूर्ति पाने के लालच मे राजमिस्त्री का कार्य करना बता रही हुं। यह कहना सही है कि मेरी उम्र 24–25 वर्ष है तथा मेरे पति मुझसे दो साल बडे थे। यह कहना सही है कि मैने अपने पति का आधार कार्ड पेश की हुं उसमे मेरे पति का उम्र 30 वर्ष है।

12– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शव परीक्षण के लिये आवेदन प्र०पी० 06 के पेज नंबर 02 के अ से अ भाग पर " कोई अज्ञात कार...............चोट लगा था " इंद्राज है।

13– यह कहना गलत है कि कार चालक के खिलाफ झूठा रिपोर्ट दर्ज की हुं। यह कहना गलत है कि मै अत्यधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लालच मे कार वाले के विरूद्ध दावा प्रस्तुत की हुं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अजय सोनवानी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र.01 व 02</u>

14– यह कहना सही है कि मै दुर्घटना होते हुये नही देखी हुं। यह कहना गलत है कि दुर्घटना के संबंध मे मेरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज नही करायी गयी

थी। यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना मेरे पति की लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

वाचित/सही स्वीकृत **मेरे निर्देशन मे टंकित किया गया।**

{विजय कुमार साहू}
अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
धमतरी (छ0ग0)

{विजय कुमार साहू}
अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
धमतरी (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर

....